

देय तिथि :- 05-06-2023

Due Date :- 05-06-2023

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नयी दिल्ली-110002
Office of Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi- 110002

FORM NO.12BB

(See rule 26C)

1. Name of the employee, कर्मचारी का नाम		
Designation (EMP CODE): पद, कर्मचारी कोड		
2. Permanent Account Number of the employee (PAN) (स्थायी खाता सं.):			
3. Financial year (वित्तीय वर्ष):		2023-24	
TAX REGIME (Tick)		NEW (Default)	OLD () <u>Optional</u>
Income from other sources (अन्य स्रोतों से आय) :			
Details of claims and evidence thereof (दावों/ रिबेट का विवरण एवं उनके साक्ष्य)			
Sr. No. (क्रम सं.)	Nature of claim (दावे का प्रकार)	Amount (राशी रुपयों में) (Rs.)	Evidence / particulars (साक्ष्य/ विवरण)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	House Rent Allowance (गृह किराया भत्ता) :		
	(i) Rent paid to the landlord (अदा किया गया किराया)		
	(ii) Name of the landlord (मकान मालिक का नाम)		
	(iii) Address of the landlord (मकान मालिक का पता)		
	(iv) Permanent Account Number of the landlord (PAN) (मकान मालिक का स्थायी खाता सं.)		
Note: PAN of Landlord is mandatory to claim HRA rebate, if the aggregate rent paid during the year exceeds one lakh rupees. नोट:- यदि वार्षिक किराया एक लाख रुपये से अधिक है तो मकान किराया भत्ता की छूट लेने के लिए मकान मालिक का PAN अनिवार्य है।			
2	Deduction of interest on borrowing (ऋण पर ब्याज की कटौती) :		
	(i) Interest payable/paid to the lender (अदा किया गया ब्याज)		
	(ii) Name of the lender (ऋणदाता का नाम)		
	(iii) Address of the lender (ऋणदाता का पता)		
	(iv) Permanent Account Number of the lender (ऋणदाता का PAN)		
	(a) Financial Institutions(if available) (वित्तीय संस्थान)		
	(b) Employer(if available) (नियोक्ता)		
	(c) Others (अन्य)		

3	Deduction under Chapter VI-A (चैप्टर VI-A के तहत कटौती)		
	(A) Section 80C,80CCC and 80CCD		
	(i) Section 80C	Amount (राशी रूपों में) (Rs.)	Evidence / particulars (साक्ष्य/ विवरण)
	(a) HOME LOAN PRINCIPAL		
	(b) PPF		
	(c) PLI		
	(d) SUKANYA		
	(e) TUTION FEE REBATE (Max 2 Children)		
	(f) MUTUAL FUND		
	(g) NSC		
	(h)		
	(ii) Section 80CCC		
	(iii) Section 80CCD (1B)		
	(B) Other sections (e.g. 80D, 80E, 80G, 80TTA, etc.) under Chapter VI-A. (चैप्टर VI-A के अधीन अन्य सेक्शन)		
	(i) section		
	(ii) section		
	(iii) section		
	(iv) section.		

अंडरटेकिंग /Undertaking

I,..... son/daughter of..... do hereby certify that the information given above is complete and correct and I'll be bound to submit all the documents relating to amount claimed by me.

मैं पुत्र/ पुत्री श्री प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना पूर्ण है एवं सत्य है एवं मैं उपर्युक्त दर्शाए हुए दावों के साक्ष्य देने को प्रतिबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

Place (स्थान)

Date (दिनांक)

Mob. No.(मोबाइल न.)

(Signature of the employee)

Full Name (नाम)

Designation

(पदनाम)

Section:-

Emp. Code:-

नोट:-

- 1) कृपया फॉर्म पूर्ण रूप से भरें, एवं अपना नाम), पदनाम, PAN तथा कर्मचारी कोड स्पष्ट रूप से लिखें।
- 2) कृपया यह फॉर्म सभी साक्ष्यों के साथ देय तिथि तक बिल अनुभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा माह जून 2023 में की जाने वाली आयकर गणना के पश्चात आयकर अधिक कट जाने की जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी/कर्मचारी की होगी।
- 3) कृपया TAX REGIME अवश्य चुने |